सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 20-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना खेसरहा क्षेत्र में हुई 65 वर्षीय महिला के ब्लाइंड मर्डर की घटना का थाना खेसरहा पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण कर, 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

◆घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद।

◆गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, सतीश चंद्र पांडेय क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, रवीन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.06.2024 को मु0अ0सं0 113/2024 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को कस्बा नासिरगंज के पास से गिरफ्तार कर, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त विनोद वर्मा ने पुलिस द्वारा पूछताछ पर बताया कि उसका का मृतका अनारकली के लड़की से प्रेम सम्बन्ध था । मृतका बार-बार अपनी लड़की तथा अभियुक्त विनोद वर्मा को मना करती थी । जिससे प्रतिशोध में आकर अभियुक्त विनोद वर्मा द्वारा योजना के तहत तेज धारदार चाकू से मृतका के कमर पर बैठ कर पीठ तथा गर्दन में कई जगह वार कर हत्या कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. विनोद कुमार वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा निवासी बरगदवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता ग्राम नासिरगंज थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी विवऱण –

1.अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर 01 अदद आला कत्ल चाकू व 01 अदद मृतका का मोबाइल व 02 अदद अभियुक्त का मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

01.प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 रामा प्रसाद यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

03.मुख्य आरक्षी सत्येन्द्र सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.आरक्षी राहुल कुमार आशीष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 20-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद में नियुक्त बीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी/नागरिक पुलिस को जनपद के लोहिया कला भवन हाल में दिया गया 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 20.06.2024 को सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद में नियुक्त बीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी/नागरिक पुलिस को जनपद के लोहिया कला भवन हाल में 01 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 19.06.2024 से जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की संख्या के अनुरूप अलग-अलग बैच बनाकर चरणवार तिथि तय कर दिनांक 21.06.2024 (समय 09.30 बजे से 18.00 बजे तक) तक उपलब्ध अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को कृष्ण चन्द्र व देवेन्द्र कुमार सिंह अभियोजन अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद के समस्त थानों एवं अन्य शाखाओं सहित कुल 188 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुश्री प्राची सिंह ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 20.06.2024 को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुश्री प्राची सिंह द्वारा जनसुनवाई कर शिकायतकर्ता की समस्या को सुनकर संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को गूगल मीट के माध्यम से तत्काल गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 20 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 02 भूमि विवाद, 05 मारपीट व 13 अन्य से संबंधित थे। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में (15-21) तक योग सप्ताह मनाये जाने के अनुक्रम में पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में योगाभ्यास कराया गया ।

आज दिनांक 20.06.2024 को 10वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15-06-2024 से 21-06-2024 तक योग सप्ताह मनाये जाने के अनुक्रम में पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड सिद्धार्थनगर में पुलिस कर्मियों को योग प्रशिक्षक महेश कुमार, राकेश मिश्र द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जिसमे सबसे पहले सुक्ष्म व्यायाम-अनुलोम- विलोम, कपाल-भांति, पद्मासन तथा सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास कराया गया तथा इसके उपरांत योग प्रशिक्षक द्वारा बताया गया कि शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी है तथा योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, परंतु इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है, स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है, तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा गोष्ठी।

◆राजपत्रित अधिकारियों के पास लम्बित विवेचना, जाँच, शिकायती प्रार्थना पत्र आदि के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी की गयी।

सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 20.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आवास कैम्प कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण के साथ जनपद में सुरक्षा व्यवस्था एवं क़ानून व्यवस्था सुदृढ़ व चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा गोष्ठी की गयी तथा राजपत्रित अधिकारियों के पास लम्बित विवेचना, जाँच तथा आयोगों से प्राप्त लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्र आदि की समीक्षा कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रेस नोट दिनांक 20-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध की जा रही है विधिक कार्यवाही।

शासन एवं यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशों के क्रम में वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आज दिनांक 20-06-2024 को सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों / मुख्य चौराहों पर वाहन में नियम विरूद्ध / अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों की चैकिंग करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहनों पर अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करने हेतु जागरुक किया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

❋◆जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर रुट मार्च/पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।*

सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20-06-2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गश्त कर आम-जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया। आपस में सौहार्द बनाये रखने व अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी खबर की प्रमाणिकता जाने बिना शेयर न करने हेतु अपील किया गया।